प्रेस नोट दिनाँक-29.07.2021

(1). आज दिनाँक-29.07.2021 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की गोष्ठी आयोजित की गयी । इस गोष्ठी में समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उलंलघन करने वाले बाल अपचारियों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भरकर किशोर न्यायालय के समक्ष प्रेषित करें । पॉक्सो एक्ट के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी । SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई) , CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यो एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी । गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि बच्चों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

इस कार्यशाला में विधि का उल्लंघन करने वाले बाल अपचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये व पुलिस कर्मियों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी तथा पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। गुमशुदा बच्चों की बरामद होने पर तत्काल चाइल्ड लाइन को सूचना दें।

इस गोष्ठी/कार्यशाला में श्री पारीक्षत सेठ यूनिसेफ, डा0 सौरभ सिंह प्रभारी चाइल्ड लाइन जनपद चित्रकूट, श्री अनुपम श्रीवास्तव प्रभारी महिला थाना, निरीक्षक श्री चित्रसेन सिंह प्रभारी एएचटीयू, प्रेरणा श्रीवास्तव प्रभारी वनस्टाप सेंटर, श्रीमती प्रिया माथुर प्रभारी महिला शक्ति केन्द्र समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं उनकी टीम उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खां तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त कल्लू पुत्र श्रीकेशन निवासी सेखापुर को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री फिरोज खां थाना मानिकपुर
2. आरक्षी पंकज कुमार

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 29.07.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम उड़की माफी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो स्क्वायड कोतवाली कर्वी द्वारा, कोतवाली कर्वी परिक्षेत्र, बस स्टैंड, ट्रैफिक चौराहा तथा कोठी तालाब आदि स्थानों में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सिंगलपुरवा व रेलवे स्टेशन में, एंटी रोमियों टीम महिला थाना द्वारा पुरानी कोतवाली चौराहा, धुस मैदान, सब्जी मंडी जाकर भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया । सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय एफटीसी न्यू कोर्ट जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 731/14 धारा 323/504/308 भादवि के आरोपित अभियुक्त 1. राकेश मिश्रा 2.जगदीश मिश्रा (3) हनुमानदीन पुत्रगण रामकिशुन निवासीगण खुमानीपुरवा मजरा दहनी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आज दिनाँक 29.07.2021 को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षेप मे मामाला इस प्रकार हैं कि दिनाँक-26.05.2014 को समय 08 बजे अभियुक्तगण उपरोक्त वादी साधूराम के दरवाजे पर खड़े बबूल के पेड़ को काटने लगे, जिस पर वादी की पत्नी व लड़का अनिल उर्फ सोनू ने बबूल का पेड़ काटने से मना किया तो अभियुक्तगण ने साशय उन्हे लाठी-डंडा व उल्टा कुल्हाड़ी की मुदाल से प्रहार कर गम्भीर उपहाति कारित किया। वादी की पत्नी को कुल्हाड़ी की मुदाल से सर में प्राणघातक प्रहार कर गम्भीर चोट पहुंचायी गयी।